पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

पंचायत, ग्रामीण आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग

आदिवासी विकास विभाग

गुजरात सरकार

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 दिनांक 24.12.1996 से लागू है
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्रों में इस अधिनियम का कार्यान्वयन
- गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1998 राज्य में दिनांक 20.12.1997 से लागू किया जा रहा है।
- गुजरात ग्राम पंचायत (ग्राम सभा की बैठकें और कार्य) नियम, 2009
- पंचायतों के गुजरात प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2017

गुजरात

राज्य की कुल जनसंख्या (जनगणना-2011) : 6,04,39,692

कुल ग्रामीण जनसंख्या (जनगणना-2011) : 3,46,94,609

कुल जनजातीय जनसंख्या (जनगणना-2011) : 89.17 लाख

क्र.सं.	ब्यौरा	जिला पंचायत	तालुका पंचायतें
1	कुल	33	248
2	पेसा में पूर्णत: परिवर्तित	4	24
3	आंशिक रूप से पेसा में परिवर्तित	9	27

पेसा में शामिल जिलों की संख्या : 13

पेसा में शामिल तालुकों की संख्या : 51

पेसा में शामिल ग्राम पंचायतों की संख्या : 2678

पेसा में शामिल गांवों की संख्या : 4503

पेसा अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की स्थिति

- राज्य सरकार ने अधिसूचना सं 2017 के माध्यम से राज्य पेसा नियमावली, 2017 तैयार की है। दिनांक 17.1.2017 के केपी/1/2017/पीआरसीएच/102010/जीओआई/43/जी और 18 फरवरी, 2017 को अधिसूचना सं 2017 द्वारा कुछ संशोधन किए गए। 2017 का KP/6/PRCH/102010/GoI-43/G

क्र.सं.	गुजरात पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1998 में धारा 278 (ए) के अंतर्गत पेसा अधिनियम के प्रावधान	प्रासंगिक नियम/अधिनियम
1	4(घ) : ग्राम सभा गाँव के निवासियों की परम्पराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान की प्रथागत पद्धति की रक्षा और संरक्षण करने का प्रयास करेगी।	पेसा नियम - 7
2	4(ङ) : ग्राम सभा-(i) ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरू किए जाने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन करेगी; (ii) गांव में गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभाथर्यों के रूप में व्यक्तियों की पहचान या चयन के लिए उत्तरदायी होगा।	पेसा नियम - 10
3	44(च) : ग्राम पंचायत धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ख) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगी।	पेसा नियम - 13
4	4(ज) : राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों का नामांकन, जिनका अंतर-मध्यस्थता और जिला पंचायत स्तर पर प्रतिनिधित्व है।	जीपीए - धारा - 11क

क्र.सं.	पेसा अधिनियम के प्रावधान	प्रासंगिक नियम/अधिनियम
5	4(i) भूमि अधिग्रहण और पुनर्स्थापन और पुनर्वास से पहले ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाओं के साथ परामर्श।	पेसा नियम - 23, 24
6	4(ञ) : ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जल निकायों की आयोजना एवं प्रबंधन।	पेसा नियम - 25 और 27
7	4(ट) : पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने से पूर्व ग्राम सभा या पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई अनुशंसा।	पेसा नियम - 35
8	4(1) : नीलामी द्वारा गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने के लिए जीएस या पंचायती राज संस्थान द्वारा अनुशंसा।	पेसा नियम - 37
9	4 (ड) (i) : पंचायती राज संस्थान और ग्राम सभा किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री / खपत को प्रतिबंधित करने के लिए टॉवर प्रदान करेंगे	पेसा नियम- 41
10	4 (ड) (ii) : लघु वन उपज का स्वामित्व पंचायती राज संस्थान और ग्राम सभा को	पेसा नियम- 39
11	4 (ड) (iii) : पंचायती राज संस्थान और ग्राम सभा को भूमि हस्तांतरण को रोकने की शक्ति।	पेसा नियम-20, 21, 22
12	4 (ड) (iv) : पंचायती राज संस्थान और ग्राम सभा को ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन करने की शक्ति।	पेसा नियम- 32
13	4 (ड) (v) : पंचायती राज संस्थान और ग्राम सभा को धन उधार पर नियंत्रण करने की शक्ति।	पेसा नियम- 40
14	4 (ड) (vi) : पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभा को सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण करने की शक्ति।	पेसा नियम- 15

पेसा ग्राम सभा नियमों के अंतर्गत 3 नई समितियों का गठन

1. शांति समिति:

- इस समिति में 10 सदस्य और अध्यक्ष हैं।
- ग्राम सभा द्वारा समिति के सदस्यों का चुनाव
- समिति का कार्यकाल ढाई वर्ष का है
- गांव में शांति स्थापित करना और लोगों के बीच विभिन्न प्रकार के विवादों को हल करना

2. संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (आरपीएमसी):

- इस समिति में 10 सदस्य और अध्यक्ष हैं।
- ग्राम सभा द्वारा समिति के सदस्यों का चुनाव
- समिति का कार्यकाल ढाई वर्ष का है
- गांव की सभी परिसंपत्तियों की योजना और संगठन करना
- ग्राम सभा की एक स्थायी संसाधन योजना और प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) होगी। सभी विभागों के प्रतिनिधि आरपीएमसी के सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और इसकी बैठकों में भाग लेंगे।
- आरपीएमसी गांव के क्षेत्र में सभी संसाधनों के सर्वोत्तम संभव उपयोग के लिए एक योजना तैयार करेगा और ग्राम सभा के सदस्यों के साथ सलाह और सहयोग करेगा ताकि तदनुसार उनका उपयोग किया जा सके।
- आरपीएमसी संसाधनों के प्रबंधन या उपयोग के बारे में मतभेद या विवाद सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगा। ग्राम सभा ऐसे विवादों को हल करने के लिए आरपीएमसी को अधिकृत कर सकती है। यदि आरपीएमसी इसका समाधान नहीं कर पाती है, तो ग्राम सभा की बैठकों में इन पर विचार किया जाएगा। ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।

3. सतर्कता और निगरानी समिति:

- इस समिति में 10 सदस्य और अध्यक्ष हैं।
- ग्राम सभा द्वारा समिति के सदस्यों का चुनाव
- समिति का कार्यकाल ढाई वर्ष का है
- कार्य के बारे में जानकारी कार्यस्थल पर और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्थानीय भाषा में प्रदर्शित की गई है।
- प्रगति और काम की गुणवत्ता सुसंगत हैं; और
- श्रमिकों को भुगतान, डिजिटल रूप से या चेक द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक स्थानों पर पढ़ा और किया जाता है।

पेसा

और

संबंधित विभाग

लघु खनिज
(उद्योग एवं खान विभाग)

- अनुसूचित क्षेत्र में सभी गौण खनिजों के उत्खनन और उपयोग के लिए ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होगी। (गुजरात लघु खनिज रियायत नियम, 2010 और 2017)

- ग्राम सभा संसाधन नियोजन और प्रबंधन समिति (आरपीएमसी) की सलाह पर कार्य करेगी। भूविज्ञान और खनन प्रभाग का प्रतिनिधित्व आरपीएमसी में एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रॉयल्टी निरीक्षक या खान पर्यवेक्षक के पद से नीचे नहीं होगा।

ऋण

(कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग)

- गुजरात साहूकार अधिनियम 2011 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन और पेसा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, ग्राम सभा की शांति समिति गांव में ऋण लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए सक्षम होगी।
- ग्राम सभा साहूकार द्वारा दिए गए ऋण के मामलों में अधिकतम ब्याज दर और चुकौती शर्तों का सुझाव देने के लिए सक्षम होगी।
- विवाद समाधान के लिए, शांति समिति किसी भी साहूकार द्वारा दिए गए ऋण के बारे में कोई जानकारी मांग सकती है।

भूमि और भूमि अधिग्रहण
(राजस्व विभाग)

- ग्राम सभा में 7/12 की घोषणा का वाचन
- भू-राजस्व संहिता, 1879 की धारा 135-घ के अंतर्गत ग्राम सभा में नोटिस अनिवार्य किया जाएगा
- भू-राजस्व संहिता, 1879 के मामलों की धारा 73-कक के मामलों पर ग्राम सभा के साथ अनिवार्य चर्चा
- भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श

वन एवं पर्यावरण विभाग

- लघु वनोपजों के संग्राहक अपने द्वारा एकत्रित लघु वनोपजों को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें पर्याप्त मूल्य प्राप्त हों और बिचौलियों या एजेंटों द्वारा उनका शोषण न किया जाए, इस आशय के ग्राम सभा के संकल्प के बाद, गुजरात राज्य वन विकास निगम को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर कलेक्टरों द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों को बिक्री के लिए खरीदने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जहां मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है;
- गुजरात राज्य वन विकास निगम यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय में कटौती करने के बाद निवल लाभ सीधे कलेक्टरों के खातों में जमा किया जाएगा।

श्रम बल और महिलाओं का संरक्षण
(श्रम विभाग)

- नौकरी के लिए गांव से बाहर श्रमिक ले जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे कार्य की प्रकृति और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए लिखित या मौखिक समझौते के बारे में ग्राम सभा को पूरी जानकारी प्रदान करें और ग्राम सभा को सूचित करें।
- सरकारी या संगठित क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के अलावा, निजी या असंगठित क्षेत्र के प्रबंधकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे महिलाओं के हित के बारे में समय-समय पर संबंधित ग्राम सभा को सूचित करते रहें।

अब तक की प्रगति...

जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सोसायटी द्‌वारा पेसा अधिनियम के बारे में जागरूकता

- माननीय मुख्यमंत्री ने पेसा अधिनियम के नियमों की घोषणा की।
- सरपंचों के लिए पेसा अधिनियम पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 19.03.2018 को महात्मा मंदिर में किया गया।
- आदिवासी विकासखण्डों के सभी 5884 ग्रामों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।
- पेसा अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, अधिकारियों और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 500 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- आरजीपीएसए और आरजीएसए के अंतर्गत एसआईआरडी द्‌वारा आयोजित पेसा जिलों के ईआर के लिए प्रशिक्षण।

अब तक की प्रगति...

- पेसा जिलों में कुल 90855 ग्राम सभा आयोजित की गई।
- जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है
- जनजातीय स्थायी समिति माननीय आदिवासी विकास मंत्री के स्तर पर आयोजित की जाती है।
- जनजातीय उप-योजना के सफल कार्यान्वयन के साथ-साथ जीओजी द्वारा 1997 में न्यू गुजरात पैटर्न स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें टीएएसपी में से 200 करोड़ रुपये को विवेकाधीन निधि के रूप में टीडीडी के निपटान में रखा गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान योजना का प्रावधान 432.40 करोड़ रुपये है।
- प्रदेश के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के 482 सीमावर्ती गांवों में सड़क, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली कनेक्शन, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बॉर्डर ग्राम योजना लागू की गई है। यह योजना वर्ष 2010-11 से 31.00 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ शुरू हुई थी और धीरे-धीरे वर्ष 2021-22 में बढ़कर 75.00 करोड़ रुपये हो गई है।

अब तक की प्रगति...

- गुजरात भूमिहीन मजदूर और हलपति हाउसिंग बोर्ड की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत की गई है। बोर्ड हलपति, तलाविया और नायक जाति के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए दक्षिण गुजरात के जिलों में आवास निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है, जो बहुत गरीब और अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं। वर्ष 1984 से 2021 तक कुल 39,310 हलापति लाभार्थियों को आवास लाभ दिया गया है।
- पीवीटीजी अनुसूचित जनजातियों के बीच सबसे कमजोर वर्ग का गठन करते हैं, और बड़े पैमाने पर छोटे और बिखरे हुए बस्तियों में अलग-थलग, दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में रहते हैं। पीवीटीजी को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की योजना में शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और आजीविका के लिए रोजगार कार्यक्रम जैसी छह बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। यह योजना वर्ष 2013-14 से 10.00 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ लागू की गई है और धीरे-धीरे वर्ष 2021-22 में बढ़कर 20.00 करोड़ रुपये हो गई है।
- हलपति समुदाय को बुनियादी सुविधाओं के लिए यह योजना शिक्षा, आवास, पेयजल, सड़क, बिजली और आजीविका के लिए रोजगार कार्यक्रम जैसी छह बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है। यह योजना वर्ष 2013-14 से 9.50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ लागू की गई है और धीरे-धीरे वर्ष 2021-22 में बढ़कर 45.71 करोड़ रुपये हो गई है।

अब तक की प्रगति...

- लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की योजना के अंतर्गत गुजरात राज्य के 21,500 से अधिक आदिवासी भाई-बहनों को लघु वनोपज एकत्रीकरण में पूरक रोजगार मिला है। जिनमें से लगभग 11,558 आदिवासी संग्रहकर्ताओं को गुजरात राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020-21 में रोजगार लाभ प्रदान किया गया है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) ने जनजातीय उत्पादों के मूल्य वर्धन के माध्यम से जनजातीय आय में सुधार करने के उद्देश्य से एमएसपी-एमएफपी योजना के विस्तार के रूप में वन धन योजना शुरू की।
- पहले चरण में, गुजरात राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में 210 वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किए जाएंगे। 116 वीडीवीके के स्थान की पहचान और अनुमोदन किया गया है और इन 116 वीडीवीके के लाभार्थियों का सर्वेक्षण पूरा हो गया है। अनुमोदित 116 वीडीवीकेसी के लिए ट्राइफेड नई दिल्ली से कुल 1721.00 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है, जिसमें से 554.00 लाख रुपये संबंधित वीडीवीकेसी को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्य से आवंटित किए गए हैं।

भावी राह...

- क्षमता निर्माण -
  - ग्राम सभा
  - ग्राम पंचायत
  - हितधारक

- विभिन्न समितियों में आदिवासी महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ करना
- सार्वजनिक स्थानों पर पेसा प्रावधानों का प्रदर्शन
- ग्राम सभा की "परामर्शी भूमिका" के लिए जागरूकता

बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय

राजपिपला, जिला नर्मदा

- बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय 39 एकड़ भूमि में स्थापित होगा
- बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय कुशल बच्चों को इस आधुनिक दुनिया में सक्षम बनाने के लिए उनका पोषण करने के लिए एक ब्रिजिंग एजेंट के रूप में कार्य करेगा।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का राष्ट्रीय संग्रहालय

- नर्मदा जिले के गरुधेश्वर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के राष्ट्रीय संग्रहालय का कार्य प्रगति पर है।

NATIONAL MUSEUM FOR
TRIBAL FREEDOM FIGHTERS

Ticketing

धन्यवाद